

## कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

//आदेश//

क्रमांक / 1594 / आजाक / जा.स. / 20-21

कबीरधाम, दि. 11/11/2020

सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 अक्टूबर 2020 द्वारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अनुसार क्रमांक एफ-1323/2012/आ.प्र. / 1-3 दिनांक 22.08.2013 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों का गठन किया गया था, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त परिपत्र को अधिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) के एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 2014 के उपनियम (1) के खण्ड (च) में संशोधन अनुसार निम्नानुसार जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठन किया जाता है : -

1-	श्री अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर जिला कबीरधाम	-	अध्यक्ष
2-	(1) श्रीमती रेखा चन्द्रा, (अ.पि.वर्ग) डिप्टी कलेक्टर जिला कबीरधाम	-	सदस्य
	(2) श्री के.ए.ल.महिलांगे, (अनु.जाति) जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम	-	सदस्य
	(3) श्री लवन सिंह कंवर (अनु.जनजाति) प्रोफेसर, कन्या महाविद्यालय कवर्धा	-	सदस्य
3-	श्री एस.एस. सोम सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर, कबीरधाम	-	सदस्य
4-	श्री बी.आर.मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) कबीरधाम	-	सदस्य
5-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	-	सदस्य सचिव

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पृ.क्रमांक / 1595 / आजाक / जा.स. / 20-21

कबीरधाम, दि. 11/11/2020

प्रतिलिपि :-

- 1-सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2-सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3-आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4-सचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 5-कलेक्टर (वित्त स्थापना / विकास शाखा) जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
- 6-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा / पंडरिया / बोडला की ओर सूचनार्थ।
- 7-सर्वे संबंधित की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कलेक्टर 11/11/2020  
जिला - कबीरधाम छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) कबीरधाम

कबीरधाम दिनांक 19/06/2021

मा. ५६६१/आज्ञा/पन.अ./२०२०-२१  
पति

सचालक  
आदिम जाति अनुसंधान एव प्रशिक्षण संस्थान  
पुरखोंगी मुख्यालय के साथी भैरव-२४  
नवा रायपुर अटलनगर छ.ग

**विषय -** उन्नतज्ञिकार अधिनियम-२००६ के उत्तम क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जनजाति गां के निर्भावित प्रचारयत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास हेतु जनजाति कार्य नवालय भारत सरकार द्वारा आयोजित गिरे जाने वाले राज्य स्तरीय 'Master Trainers Training' कार्यक्रम हेतु जिलेवार Mrater Trainers की सूची उपलब्ध कराने वाचव।

**सदम् -** आपका पत्र क्रमांक/टी.आर.आई/पशि/५४६(२)/२०२०-२१/५९३ नवा रायपुर दिनांक 16.06.2021


— ०० —


विषयान्वार्गित संदर्भित पत्र के प्रश्न जिसे मै वन अधिकार अधिनियम २००६ के क्रियान्वयन व अनुसूचित जनजातिय के प्रचारयत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास हेतु जनजाति कार्य नवालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 'Master Trainers Training' कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिला कबीरधाम से ०२-०२ का चयन करते हुए उनके प्रत्यावर्तनाम पदनाम कार्यालय का नाम गोवाइल नमार इत्यादि संघालक, आदिम जाति अनुसंधान एव प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर अटल नगर को तत्काल उपलब्ध कराने निर्देश दिय गये है

जिले रो प्रशिक्षण हेतु 'Master Trainers' की सूचि विवरण निम्नानुसार-

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	मानो	रिमार्क
अनुसूचित जनजाति गां के प्रचारयत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास हेतु मास्टर ट्रेनर					
1	श्री लखन सिंह कवर	सहायक प्राध्याराक	शासकीय कन्मा-भाहपिंडीलय कवरी	9926819179	
2	श्री लखन लाल वारने	प्रभारी छात्रावास अधिकारी	कार्यालयक आयुक्त अदिवासी विकास कबीरधाम	8319680476	
वन अधिकार अधिनियम २००६ के संदर्भ में मास्टर ट्रेनर					
1	श्री विनोद बंजार	गायब तहसीलदार	कार्यालय तहसीलदार(राजस्व) सहसापुर लोहुरा	9009725371	दिनांक 03.03.2021 नं 07 दृष्टि 2020लक्ष्मा नियमों व प्रशिक्षण कला नास्टर ट्रेनर।
2	श्री नघुसूदन डोगरे	अनुविमानीय अधिकारी(कार्यालय)	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कवरी	9426245388	

( संयुक्त कलेक्टर द्वारा अनुमोदित )

  
 सहायक अधिकारी  
 आदिवासी विकास कबीरधाम



क्रमांक 1651 आजाग्रा / निर्माण / 2020-21

कर्तीकाम दिनांक 18/06/2021

1. सचिव आदिवासी जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय भारतीय भवन नगर सरपुर अंतर्गत नगर(पा.) की ओर सादर सूचनाएँ।
2. कलेक्टर जिला—कर्तीकाम की ओर सादर सूचनाएँ।
3. बननाणहलाधिकारी बनमण्डल कम्पनी की ओर सूचनाएँ।
4. तहसीलदार( राजस्व) सारसपुर लोहरा की ओर सूचनाएँ।
5. प्राचीर्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कम्पनी की ओर सूचनाएँ।
6. सचिव श्री जवल शिंदे चौहान, अधिकारी, सारसपुर के सचनाएँ।

  
सहाय्यक अधिकारी  
आदिवासी विकास कर्यालय नगर